



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-182 राँची, बुधवार, 19 फाल्गुन, 1942 (श०)
10 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 फरवरी, 2021

संख्या- 5/आरोप-1-28/2014 का० 1124-- श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03, गृह जिला-नालन्दा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-199/म०को०, दिनांक 21.02.2012 द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध कराया गया है। इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. (क) ग्राम पंचायत बंधुआ, जुंगूर, जान्हो, पल्हैया एवं डोंकी में प्रति 125 एकड़ कुल 500 एकड़ में वृक्षारोपण मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानानुसार कराना था, जिसके विरुद्ध बंधुआ-4, जुंगूर-6 एवं जान्हो-5.75 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य कराना गया है।

(ख) योजना स्थल पर सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है तथा प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण के बाद 3 वर्ष तक रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर कार्यान्वयन कराने में कोताही लापरवाही बरती गयी है।

2. योजना से संबंधित मस्टर रॉल, अभिश्रव, मापी पुस्त का संधारण संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं रहना, कार्यों के प्रति कोताही, लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है।

3. जान्हो पंचायत का परहिया टोला (योजना संख्या-26/2007-08) में दिनांक 17.07.2007 को 4,00,000/- (चार लाख) रुपये, दिनांक 27.07.2007 को 6,00,000/- (छः लाख) रुपये, दिनांक 06.08.2007 को 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये एवं दिनांक 20.08.2007 को 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये एवं दिनांक 06.09.2007

को 10,00,000/- (दस लाख) रुपये एवं बंधुआ ग्राम में (योजना संख्या- 27/07-08) दिनांक 20.09.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये, दिनांक 01.10.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये बिना पूर्व अग्रिम के समायोजन के बारम्बार अग्रिम देकर सरकारी राशि के दुरुपयोग/ अनियमितता का आरोप बनता है।

4. तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत जेट्रोफा पौधारोपण के संबंध में 8 बिन्दुओं पर कार्यान्वयन के निदेश का अनुपालन करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनावार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346, दिनांक 07.03.2008, उक्त पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 एवं पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा दिये गये पत्र का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण स्मार पत्र दिया गया परन्तु प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा आदेशों की अनदेखी करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप बनाता है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-9961, दिनांक 15.10.2013 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिन्हा के पत्रांक-372, दिनांक 10.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रपत्र- 'क' में अंकित आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित पाया गया है, जिसके लिए श्री कुमार के विरुद्ध निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। विभागीय पत्रांक-1100, दिनांक 10.02.2015 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 20.02.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिसपर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो। अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) एवं (2) के तहत निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका W.P.(S) No.-3790/2015 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2020 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"Para-9- Having heard learned counsel for the parties and after going through the materials available on record, it appears that the Inquiry officer in his enquiry report has categorically stated that in the absence of evidence, the petitioner has been given benefit of doubt with respect to charge no.-I and III. However, from perusal of the second show cause notice, it appears that the Disciplinary Authority has stated that charge no.-I and III have been proved. This is so because instead of the enquiry report pursuant to the enquiry proceedings where the petitioner duly participated was not considered by the Disciplinary Authority; rather, he relied upon the internal Opinion/enquiry which was conducted on his direction and the same has been referred in the second show cause notice and also enclosed with it. However, the law is very clear that the Departmental Authority is having every right to differ with the view of the Inquiry officer, but in doing so, he will have to give a show cause notice by recording reasons to differ, which is absent in the instant case.

Para-10 - From the second show cause notice it further transpires that the respondents have pre-decided their mind in imposing punishment, inasmuch as, the internal

opinion/enquiry which was conducted behind back of the petitioner has already referred for proposed punishment and the same was also placed before the Chief Minister. This is against the settled principles of law.

Para-11 - Further, from bare perusal of the impugned order of punishment it appears that the Disciplinary Authority has not applied his independent mind rather based his order on the opinion of the subordinate officers and had acted upon the their dictates which is against the principle of service jurisprudence.

Para-12 - In view of the cumulative facts and circumstances of the case and the judicial pronouncements referred to herein above, the impugned order as contained in Memo No.-5205 dated 10-06-2015, is hereby, quashed and set aside. The Disciplinary Authority would be at liberty to start the proceeding afresh from the stage of serving of the second show cause notice and after receiving the reply pass a fresh order. It is made clear that since the matter is very old, the entire exercise shall be completed within a period of four months from the date of receipt/production of copy of this order. It goes without saying that the petitioner shall fully cooperate in the proceeding.

Para-13 - with the aforesaid observations and directions the instant writ application stands disposed of."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No.-3790/2015 में दिनांक 24.11.2020 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा रिट याचिका W.P.(S) No.-3790/2015 में दिनांक 24.11.2020 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपण संबंधी दण्डादेश रद्द किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
